

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट टिब्बी)

सतनामसिंह पुत्र बसीरसिंह जाति रायसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम

1.सरजीतसिंह } पि0 बसीरसिंह जाति रायसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला
2.बलवन्तसिंह } हनुमानगढ राज0।
3.मलकीतसिंह }

4.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


प्रकरण संख्या:-273 / 2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-53,88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-27.06.2018

वादी की ओर से श्री करनैलसिंह एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.06.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेच होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- चक 30 एनजीसी के प0न0 171/262 मु0 32 किलानं0 11/253 है0, भूमि का वादी को खातेदार कल्लकार घोषित किया जाकर वादी की भूमि का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चक 30 एनजीसी के खाता सं0 98/83 में शेष 2.530 है0 कृषि भूमि में वादी .506 है0 , प्रतिवादीसं0 2 बलवन्तसिंह का 0.633 है0, प्रतिवादीसं0 1 सरजीत का 0.695 है0 तथा प्रतिवादीसं0 3 मलकीतसिंह का 0.696 है0 हिस्सा संयुक्त बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 27.6.2018 राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत टिब्बी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


राज(उम्मेद सिंह रतनू)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्च

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जाड	100/-	जाड	0